प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 09.04.2024

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक मंगलवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 09.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्ड रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 09.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता रामप्रताप पुत्र अशरफी निवासी भरवलिया थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 लालजी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बूंदीपार से इवेन्ट संख्या 46806 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 05 व्यक्तियों (1- समसुद्दीन पुत्र निजामुददीन 2-लोदर पुत्र किशोर निवासी बखिरा 3-शनि पुत्र अज्ञात निवासी हरदी थाना बखिरा 4-छोटू पुत्र जानकी प्रसाद निवासी औरापार 5-श्रवण पुत्र रामजी निवासी शिपही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के दुर्घटना में घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश 108 की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 राहुल यादव, हो0चा0 भागीरथी सिंह।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 09.04.2024

अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दुधारा द्वारा 950 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में ***थाना दुधारा*** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त शोएब उर्फ पा पुत्र बैतुल्ला निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को च्युटना पुलिया से 100 मीटर आगे से गिरफ्तार कर कब्जे से 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
शोएब उर्फ पा पुत्र बैतुल्ला निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
950 ग्राम अवैध गांजा।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 172/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

अपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0स0 -172/2024 धारा 8/20 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
2.मु0अ0स0 -319/2021 धारा 380/413/457 भादवि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
3.मु0अ0स0 190/2023 धारा 60 Ex.Act थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
4.मु0अ0स0 -198/2023 धारा 4/25 आर्म्स थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल* –**
उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद,का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 नवतेज सिंह

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना दुधारा द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बाघनगर, करमाखान, साफियाबाद, चिउटना, सेमरियावां, दुधारा, दरियाबाद, लोहरौली व अन्य गांवो में फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। इस दौरान पुलिस बल व सीआईएसएफ बल के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 09.04.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 01 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 09.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 01 सीसीटीवी कैमरा लगवाये गए हैं। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 09.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 290/2024 धारा 363, 366 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त मनीष साहनी पुत्र इन्दल साहनी निवासी कोल्हुआ लकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त, वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 09.04.2024 को उक्त अभियुक्त को ग्राम जंगलकला मोड़ से गिरफ्तार कर, अपहृता की बरामदगी किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, हे0का0 शैलेन्द्र यादव, का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, म0का0 दुर्गावती खरवार।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 09.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामलें में 01 अभियुक्त को 06 माह के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 09.04.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 097/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता मोहम्मद अली पुत्र अली अहमद निवासी उचहरा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध के लिए 06 माह के कठोर कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि को समायोजित किया जाएगा) व अर्थदण्ड 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 09.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 09.04.2024 को श्रीमान ***जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2021 धारा 302, 498ए भादवि के मामले में अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह तथा श्रीमती किसा देवी उर्फ तिसा देवी उर्फ किसमती देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र सिंह निवासीगण धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 498ए भादवि में दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त दीपक कुमार सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 304(पार्ट 2) में दोषसिद्ध किया गया है तथा अन्तर्गत धारा 302, 498ए भादवि के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। दोषसिद्ध दीपक कुमार सिंह को धारा 304(पार्ट 2) भादवि के अपराध में 06 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोससिद्ध अभियुक्त की जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप धोखाधड़ी के मामले में 03 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष के साधारण कारावास व कुल 39000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 09.04.2024 को श्रीमान ***सी0जे0एम0 सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 508/1991 धारा 419, 420, 467, 468 भादवि के मामले में दोषसिद्ध अपराधीगण उदयराज यादव पुत्र धनरुप यादव, जयराम यादव पुत्र मनोहरलाल यादव, उदयनरायन यादव पुत्र धनरुप यादव निवासीगण बरडाड़ खाना बखिरा बस्ती (उ0प्र0) प्रत्येक को धारा 419 भादवि के अपराध में 03 वर्ष से साधारण कारावास व 2000रु0 अर्थदण्ड व धारा 420 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 3000रु0 के अर्थदण्ड से व धारा 467 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के साधारण कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से व धारा 468 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 3000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अपराधीगण को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। समस्त सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदण्ड की समस्त धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रुप में प्रदान की जाये। दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में कारागार में बितायी गयी अवधि को इस दण्ड की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.04.2024

फायर सर्विस टीम संतकबीरनगर द्वारा जिला सत्र न्यायालय जनपद संत कबीर नगर में अग्निशमन उपकरणों के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी

आज दिनांक 09.04.2024 को श्रीमान पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अग्नि शमन अधिकारी ***श्री अशोक यादव*** मय टीम द्वारा जिला सत्र न्यायालय जनपद संत कबीर नगर में उपस्थित अधि0/कर्मचारीगण को फायर एक्सटिंग्यूसर चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया व अग्निकाण्डों से रोकथाम व अग्निशमन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.04.2024

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर के निर्देशन में आगामी त्यौहार ईद उल फितर, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती व चैत राम नवमी के दृष्टिगत थाना महुली पर आयोजित की गई पीस कमेटी की मीटिंग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री सतीश सिंह*** द्वारा संयुक्त रुप से आगामी त्यौहार ईद उल फितर, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती व चैत राम नवमी के दृष्टिगत आज दिनांक 09.04.2024 को थाना महुली पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई। जिसमें गाँव के संभ्रांत व्यक्ति / ग्राम प्रधान व अन्य काफी संख्या में लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग में भाग लिया। लोगों से शांति व भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई तथा त्यौहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सख्त हिदायत दिया गया तथा उपस्थित लोगों को भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने तथा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु अपील किया गया। मीटिंग में आये हुए सभी सम्भ्रांत व्यक्तियो के द्वारा कोई भी समस्या नही प्रकट की गयी।